| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 19-4-2018 | पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।<br>प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या-17 ने दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दीनवा में आराजी खसरा नं0 143 रकबा 7.27 हैक्टरख0नं0 222 रकबा 8.53 हैक्टर ख0नं0 253 रकबा 0.35 हैक्टर ख0नं0 128 रकबा 2.23 हैक्टर तथा ख0नं0 119 रकबा 9.37 हैक्टर अवस्थित है ।उक्त आराजी वादीगण एवं प प्रतिवादी सं0-1 से 16 के पूर्वजों के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमिया थी। पक्षकारों की वंशावली दर्ज है ।वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0-1 से 16 को उनका हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ है । उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं हुआ है ।कानूनी बंटवारा नहीं होने से इस आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा है ।जिसके कारण इस आराजी का हस्तान्तरित करने व कब्जा कराने का कानूनी अधिकार नहीं है। अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजीयात का बंटवारा बाई मीटस एवं एण्ड बाउण्डस किया जाकर अलग अलग सींव नींव कायम की जाकर अलग अलग लगान निर्धारित किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है । | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है । तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण/ अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर लिये बिना ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है। बंटवारा प्रस्ताव से पूर्व पक्षकारों को कोई सूचना नहीं दी तथा ना ही पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया । अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । बंटवारा प्रस्ताव मौके पर तैयार न कर बाला बाला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन ... अपील अधिकारी

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| | घर बैठकर तैयार किये गये हैं । जबकि बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व खातेदारों को सूचना दिया जाना आवश्यक है साथ ही बंटवारा प्रस्ताव उनकी मौजूदगी मे तैयार किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने इस कानूनी बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । अतः अपीलान्टं की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।<br>अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय सुनी गई । | |

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि योग्य अदालत मातहत में अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है । बंटवारा प्रस्ताव भी अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में तैयार किया गया । बंटवारा प्रस्ताव के समय तहसीलदार ने खातेदारों को कोई सूचना नहीं दी बिना पक्षकारों की मौजूदगी में ही बिना मौके पर गये घर पर बैठकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है । जिस पर योग्य अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । तहसीलदार ने बंटवारा प्रस्ताव पर यह नोट भी दर्ज नहीं किया है कि पक्षकारों ने अपने हस्ताक्षर करने से मना किया हो। इससे यह स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व खातेदारों को कोई सूचना नहीं दी गई तथा उनकी गैर मौजूदगी में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया है जिस पर अदालत मातहत ने बिना गौर किये अपना निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2061 से 2064 में ख0नं0 143, 222, 253 कुल किता- 3 रकबा 16.15 हैक्टर की खातेदारी भंवरलाल पुत्र दल्लाराम हि0 1/12, भागीरथसिंह फूलाराम बीरबल ओमप्रकाश पि0 गोमाराम बिजली बेवा गोमाराम हि0 1/12 मूलचन्द श्रीराम पि0 हरिराम सिणगारी बेवा हरिराम हि0 1/12 मुना पेमा पि0 सुरजा हि0 1/2 काना पुत्र कुमा हि0 1/4 के नाम दर्ज है । जिस पर विरासत के नामान्तरकरण के नोट दर्ज है । खसरा नं0 119 रकबा 9.37 हैक्टर की खातेदारी पेमा मुना पि0 सुरजा हि0ब0ब0दर्ज हैजिस पर विरासत के नामान्तरकरण का नोट दर्ज है । खसरा सं0-128 रकबा 2.23 हैक्टर की खातेदारी भंवरलाल पुत्र दल्लाराम हि0 1/9 भागीरथ सिंह बीरबल फूलाराम ओमप्रकाश पि0 गोमाराम बिजली बेवा गोमाराम हि0 1/9 हि0ब0 मूलचन्द श्रीराम पि0 हरिराम सिणगारी बेवा हरिराम हि0 1/9 मुना पेमा पि0 सुखा हि0 1/3 हि0ब0 के नाम दर्ज है जिस पर विरासत के नामान्तरकरण के नोट दर्ज है । विवादित आराजी पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकार्ड के अनुसार दर्ज है । अदालत मातहत ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 19-1-2017 को दोनों पक्षों को सुनकर पारित की है जिसके बाद तहसीलदार ने मौके के बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये जिसमें जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा किया गया । बंटवारा प्रस्ताव में रास्ते का प्रावधान रखा गया है। अपीलान्ट ने अपील में केवल एक ही आरोप लगाया है कि बंटवारा प्रस्ताव से पूर्व उसे कोई सूचना नहीं दी इसके अलावा अपीलान्ट ने अपील में अदालत मातहत के निर्णय में अन्य किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं बताई है तथा बंटवारा प्रस्ताव में ऐसी कोई गम्भीर त्रुटि भी नहीं है । बंटवारा प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार किया गया है । जिसमें हम किसी प्रकार

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| | अपील खारिज की जाती है । तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-7-2017 यथावत रखा जाता है ।<br>निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।<br>19/4/18<br>(शंकरलाल मेहरड़ा)<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी<br>सीकर | |